बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संकल्प

विषयः— राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों के लिए छठे वेतनमान के अंतर्गत कैरियर संवर्द्धन योजना (CAS) के अधीन प्रावधानित प्रशिक्षण कार्यक्रम की गणना एवं पूर्ण करने की तिथि विस्तारित किये जाने के संबंध में।

बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा संवर्ग के शिक्षकों को अभातशिप विनियमन (डिप्लोमा), 2010 के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7027 दिनांक–29.07.2011 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान (संवर्गीय संरचना, संकाय मानदंड, कैरियर संवर्धन स्कीम तथा अन्य सेवा शर्तों एवं बंधेजों सहित) दिनांक–01.01.2006 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है।

2. वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7027 दिनांक–29.07.2011 की कंडिका–3 में प्रावधान है कि विभिन्न संवर्गों में उच्चतर ग्रेड वेतन में सभी संवर्धन (एडवांसमेंट) के लिए अभातशिप अनुमोदित दो सप्ताह का दो पुनश्चर्या कार्यक्रमों सहित एक–एक सप्ताह का दो अभातशिप अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता अनिवार्य होगी।

3. अभातशिप, नई दिल्ली का पत्रांक–27/RIFD/PAY/01/2017-18 दिनांक–22.03.2019 द्वारा छठें सीपीसी के अंतर्गत कैरियर संवर्द्धन योजना (CAS) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (एक–एक सप्ताह का दो प्रशिक्षण को दो सप्ताह का एक प्रशिक्षण अनुमान्य किये जाने से संबंधित) के बिन्दु पर निम्नरूपेण निर्णय लिया गया है :–

"It is brought to the notice of all concerned that AICTE has no objection in the matter to count two number of one-week duration coursed approved or conducted by AICTE/ Central Govt./State Govt./ TEQIP/ CHILP/ ISTE/ NITTTR/ IIT/ DTE/SBTE/ University/UGC, PMMMNMTT, IISc, CoA, IIA, SPA, ITPI, NRCs, ARPITs/ Research Organizations/ other institutes of national importance / design studio, etc. as equivalent to a two-week duration course for the purpose of CAS under 6th CPC. All concerned are requested to note for compliance with the above clarification and consider the cases of teaching faculty for promotion under CAS subject to fulfillment of other conditions laid down under AICTE notification dated 08.11.2012.

4. अभातशिप अधिसूचना दिनांक–20.05.2020 (स्पष्टीकरण) की कंडिका–10 के अनुसारं एक–एक सप्ताह की अवधि के दो कार्यक्रमों पर दो– सप्ताह की अवधि के एक कार्यक्रम के रूप में विचार किया जाना चाहिए जैसाकि अभातशिप की पूर्व अधिसूचनाओं के अनुसार सीएएस/प्रोन्नतियों के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। ऐसे कार्यक्रम अभातशिप/ यूजीसी/टीईक्यूआईपी/ एनआईटीटीआर/ पीएमएमएमएनएमटीटी/ आईआईएससी/ आईआईटी/ विश्वविद्यालयों/ सरकार/ डीटीई/ तकनीकी शिक्षा बोर्ड/ सीओए/ आईआईए/ एसपीए/आईटीपीआई/ अर्तित/अनपीटीईएल/राष्ट्रीय महत्व के किसी अन्य संस्थान द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित/ संचालित किए जाने चाहिएं। यही औचित्य तीन सप्ताह के कार्यक्रमों, जहां कहीं भी उनका उल्लेख है, पर भी लागू होता है।

5. अभातशिप, नई दिल्ली का पत्रांक–P&AP/Public Notice/CAS/571/2021 दिनांक–05.08.2021 द्वारा छठें सीपीसी के अंतर्गत कैरियर संवर्द्धन योजना (CAS) के लिए प्रावधानित प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूर्ण करने की तिथि को निम्नरूपेण दिनांक–31.12.2018 तक विस्तारित की गई है :–

"The University Grant Commission vide its Public Notice 2-16/2002(PS)/Pt.FI. II dated 16th October 2018 had extended the date of participation/ completion in Orientation/ Refresher courses/ Short Term Training Programmes/ Continuing Education Programmes for promotion under CAS up to 31.12.2018 with respect to 6th CPC. In view of the same, the Council too has decided to extend the date for completing Orientation/Refresher Courses/ Short-Term Training Programmes/ Continuing Education Programmes, for promotion under CAS for faculty members/ Librarians/ PTIs in Degree/ Diploma level Institutions up to 31.12.2018 for all the candidates to ensure uniformity.

All the AICTE approved Institutions are requested to comply with the above provision of extension.

6. उक्त संकल्प की कंडिका–15 में उल्लेख है कि यदि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विनियम, 2010 के निर्दिष्ट अनुशंसाओं में कोई संशोधन किया जाता है तो प्रशासी विभाग वित्त विभाग की सहमति से इस संबंध में निर्गत संकल्प को तदनुसार संशोधित कर सकेगा।

7. अभातशिप, नई दिल्ली का पत्रांक–27/RIFD/PAY/01/2017-18 दिनांक–22.03.2019 एवं अभातशिप अधिसूचना दिनांक–20.05.2020 (स्पष्टीकरण) की कंडिका–10 तथा अभातशिप, नई दिल्ली का पत्रांक–P&AP/Public Notice/CAS/571/2021 दिनांक–05.08.2021 के आलोक में छठे वेतनमान के अंतर्गत कैरियर संवर्द्धन योजना के लिए प्रावधानित प्रशिक्षण कार्यक्रम की गणना किये जाने एवं उसे पूर्ण करने की तिथि को दिनांक–31.12.2018 तक विस्तारित किये जाने के बिन्दु पर वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

8. उपरोक्त के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान के शिक्षकों के लिए छठे वेतनमान के अंतर्गत कैरियर संवर्द्धन योजना (CAS) के अधीन निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :–

   (i) कैरियर संवर्द्धन योजना (CAS) के अधीन एक–एक सप्ताह की अवधि के दो कार्यक्रमों को दो सप्ताह की अवधि के एक कार्यक्रम के रूप में गणना की जाएगी।

   (ii) कैरियर संवर्द्धन योजना (CAS) के लिए प्रावधानित प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूर्ण करने की तिथि 31.12.2018 तक विस्तारित की जाती है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

3.3.25

(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –वि० प्रा० (II) विविध–14/2019/ 1035 **/पटना, दिनांक :–** 04.03.25

प्रतिलिपि– सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.3.25
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –वि० प्रा० (II) विविध–14/2019/ 1035 /पटना, दिनांक :– 04.03.25

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4.3.25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –वि० प्रा० (II) विविध–14/2019/ 1035 /पटना, दिनांक :– 04.03.25

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर (अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4.3.25

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रशाखा–3/06.09.24